


राजस्थान सरकार  
गृह(ग्रुप-10)विभाग

क्रमांक: प018(3)गृह-10/16

दिनांक 01.08.2018

संशोधन आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प0 18 (3)गृह-10 दिनांक 31.07.2018 में द्वितीय पंक्ति में "प्रस्तावित" शब्द सहवन से टंकित हो गया है। अतः इस आदेश में "प्रस्तावित" शब्द को डिलीट किया जाता है।



(रमेश कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
3. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो।
4. शासन सचिव, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
6. निदेशक अभियोजन को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
8. सम्बन्धित अधिकारी।/निजी पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।




विशिष्ट शासन सचिव, गृह

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर


क्रमांक:स0 3-5(5)स्थानां/अभि/16/ 622-30 दिनांक 01.08.2018  
संशोधन आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक स0 3-5 (5) स्थानां/  
अभि/16/518-610 दिनांक 31.07.2018 में द्वितीय पंक्ति में “प्रस्तावित” शब्द सहवन  
से टंकित हो गया है। अतः इस आदेश में “प्रस्तावित” शब्द को डिलीट किया जाता है।

  
(रमेश कुमार शर्मा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
2. सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
3. सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी।
4. निजी पत्रावली।
5. समस्त अनुभाग, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर